450 लोग फिलहाल हिरासत में बंद हैं जम्मू-कश्मीर में। इनमें पत्थरबाज, उपद्रवी, अलगाववादी और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने दी।

पवार, आठवले समेत 37 राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित

जेएनएन, नई दिल्ली

- भाजपा के हिस्से में सात और कांग्रेस के खाते में चार सीटें आईं
- 18 अन्य सीटों के लिए 26 मार्च को होगा मतदान

शरद पवार।

हरिवंश नारायण सिंह।

दीपेंद्र हुड्डा

रामदास आठवले। सभी फाइल

राकांपा (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सहित 37 राज्यसभा के लिए बुधवार को निर्विरोध चुने गए। नामांकन वापस लेने की समयसीमा बीत जाने के बाद इन प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया।

राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 17 राज्यों में नामांकन भरे गए थे। 26 मार्च को शेष 18 सीटों के लिए मतदान कराए जाएंगे। इनमें गुजरात और आंध्र प्रदेश में चार-चार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन-तीन, झारखंड में दो और मणिपुर एवं मेघालय में एक-एक सीट शामिल है। जिन 37 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है, उनमें महाराष्ट्र से सात, तमिलनाडु से छह, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से दो-दो, ओडिशा से चार, बिहार और बंगाल से पांच-पांच और एक हिमाचल प्रदेश से है। भाजपा के हिस्से में सात सीटें आई हैं। उसकी सहयोगी जदयू को दो (बिहार), अन्नाद्रमुक को दो (तमिलनाडु) और बीपीएफ को एक सीट (असम) मिली है। बीजू जनता दल (बीजद) को ओडिशा में चार और तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में चार सीटें मिली हैं। तेलंगाना में टीआरएस को दोनों सीटों पर सफलता मिली है।

कांग्रेस के खाते में चार, उसकी सहयोगी राजद को दो, द्रमुक को तीन, राकांपा को दो और शिवसेना को एक सीट पर सफलता मिली है। माकपा एक सीट पर विजयी हुई है और कांग्रेस एआइयूडीएफ के समर्थन से असम में एक निर्दलीय प्रत्याशी भी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। निर्विरोध निर्वाचितों में शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एम. थांबीदुरई और मशहूर वकील केटीएस तुलसी भी शामिल हैं।

बिहार : पांच उम्मीदवारों में राज्यसभा के उप सभापति और जदयू के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद के प्रेमचंद गुप्ता व अमरेंद्रधारी सिंह शामिल हैं। अमरेंद्रधारी सिंह और विवेक ठाकुर पहली बार राज्यसभा पहुंचेंगे। हरिवंश, रामनाथ ठाकुर और राजद के प्रेमचंद गुप्ता अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। इन तीनों का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।

छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अन्य किसी भी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। पंजाब (होशियारपुर) के तुलसी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कांग्रेस नेताओं से जुड़े कई बड़े मामलों की पैरवी कर रहे हैं।

बंगाल : बंगाल में राज्यसभा की पांचों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के चार और वाममोर्चा व कांग्रेस समर्थित माकपा के एक उम्मीदवार को बुधवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इनमें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों -दिनेश त्रिवेदी, अर्पिता घोष, सुब्रत बख्शी व मौसम बेनजीर नूर के अलावा कांग्रेस द्वारा समर्थित माकपा उम्मीदवार विकास रंजन भट्टाचार्य शामिल हैं।

हरियाणा : हरियाणा से भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा सहित उपचुनाव में भाजपा के दुष्यंत कुमार गौतम भी निर्विरोध चुन लिए गए। तीनों को प्रमाणपत्र भी सौंप दिया गया।

ओडिशा : ओडिशा में बीजू जनता दल के सभी चारों उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। इनमें मुन्ना खां, सुजीत कुमार, ममता महंत और सुभाष सिंह शामिल हैं। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन चारों को प्रमाणपत्र भी दे दिया गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने यहां अपने उम्मीदवार नहीं दिए थे।

वायुसेना को मिलेंगे 83 आधुनिक तेजस विमान

राजनाथ सिंह फाइल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसियां : 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 घातक तेजस युद्धक विमान हासिल करने को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने यह फैसला लिया है। अब यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। डीएसी ने घातक रक्षा उपकरण हासिल करने के लिए 1300 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह रकम वायुसेना के हॉक एमके-32 विमानों के ट्विन डोम स्टीम्यूलेटर और एरियल फ्यूज खरीदने में खर्च की जाएगी।

सूत्रों का कहना है कि हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बनाए अत्याधुनिक एमके1ए वर्जन के 83 तेजस विमानों को वायुसेना के लिए निर्मित किया जाएगा। इससे पहले एचएएल को शुरुआती कनफिगरेशन वाले 40 तेजस विमान देने का आर्डर मिला था। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की पहली बैठक में रक्षा विभाग (डीओडी) और सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) के दायित्वों को अलग-अलग किए जाने पर सहमति दी गई है। इससे सेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बनेगा और अधिग्रहण विंग को तेजी से विमान मिलेंगे। इस कदम से रक्षा उपकरणों और हथियारों के सौदों में कीमतों को लेकर अधिक पारदर्शिता आएगी और समयबद्ध तरीके से समझौते होंगे। तेजस के अत्याधुनिक वर्जन एमके1ए के 83 विमान के भारत में बनने से 'मेक इन इंडिया' की मुहिम को खासा बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 1300 करोड़ रुपये में घातक रक्षा उपकरण हासिल होंगे।

कोरोना के कारण मिड-डे मील बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत : संज्ञान

चिंता ▶ स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने से बच्चों व माताओं को मिलने वाला पोषाहार बंद हुआ

राज्यों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में बच्चों-माताओं को पोषाहार सुनिश्चित करने की नीति बताने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट फाइल

कोरोना के कारण स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने से स्कूली बच्चों का मिड-डे मील और आंगनवाड़ी से पोषाहार लेने वाली माताओं-बच्चों का पोषाहार बंद हो गया है। शीर्ष अदालत ने माताओं-बच्चों का पोषाहार बंद होने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना वायरस फैलने से रोकने के दौरान बच्चों और माताओं को पोषाहार मिलना सुनिश्चित करें ताकि बच्चों और माताओं पर बुरा असर न पड़े।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने ये आदेश बुधवार को मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए ज्यादातर राज्यों ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए हैं। मिड-डे मील और आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण के जरिये स्कूली बच्चों, शिशुओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण मिलता है। इसके बंद होने से उन लोगों का पोषाहार बंद हो गया है। कुछ जिलों में माता-पिता को आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषाहार एकत्र करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि पोषाहार बंद होने से विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में बच्चों और माताओं का पोषण प्रभावित होगा। वे कुपोषण का शिकार होंगे जिसके कारण उनके संक्रमित होने की ज्यादा आशंका है।

कोर्ट ने कहा कि स्थिति ज्यादा परेशानी वाली न बन जाए इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य कोरोना वायरस रोकने के उपायों के दौरान बच्चों और माताओं को पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक यूनिवर्सल नीति बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस बारे में एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को मामले की सुनवाई में मदद करने के लिए न्यायमित्र भी नियुक्त किया।

सुप्रीम कोर्ट और सीमित करेगा कामकाज, सिर्फ चार अदालतें ही बैठेंगी : कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना कामकाज और सीमित करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को सिर्फ चार अदालतें ही बैठेंगी। मालूम हो कि कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही काफी एहतियाती उपाय अपनाए हुए हैं।

हम वायरस से नहीं लड़ सकते : बुधवार को जस्टिस अरुण मिश्रा ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सजग रहने की नसीहत देते हुए कहा कि यह महामारी है हर सौ साल में होती है। हम घोर कलयुग में हैं, हम वायरस से लड़ नहीं सकते। इस पर बहस के लिए कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील ए. सुंदरम ने कहा कि ये प्रकृतिक है कि ताकतवर कमजोर को मार देता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। बड़े हथियार बना सकता है, लेकिन वो कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकता। केंद्र सरकार पर सिर्फ निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हमें अपनी तरफ से भी बचाव के उपाय करने होंगे। कोर्ट ने ये टिप्पणी सुंदरम के पांच वकीलों के साथ बहस के लिए कोर्ट में आने पर की। कोर्ट का इशारा था कि भीड़ नहीं एकत्र होनी चाहिए। उन्हें एक वकील के साथ ही आना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मंत्री को पद से हटाया

दुर्लभ फैसला

- टीएच श्यामकुमार के विधानसभा में प्रवेश पर भी लगाई रोक
- अयोग्य ठहराने की याचिका तीन साल से थी शीर्ष अदालत में लंबित

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दुर्लभ आदेश जारी करते हुए मणिपुर के वन मंत्री टीएच श्यामकुमार के कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया है। अगले आदेश तक श्यामकुमार के विधानसभा में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिया है। इस अधिकार के तहत शीर्ष अदालत किसी भी सरकार के मंत्री को हटाने का आदेश दे सकती है। श्यामकुमार ने 2017 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था लेकिन बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद वह राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। उन्हें अयोग्य ठहराने की कांग्रेस की याचिका मणिपुर में विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 से विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित ऐसी कुल 13 याचिकाओं पर बीती 21 जनवरी को संज्ञान लिया था। तब मणिपुर से विधानसभा अध्यक्ष से इन पर चार सप्ताह के भीतर फैसला लेने के लिए कहा गया था। इन्हीं में से एक श्यामकुमार को दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने का मामला था। विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से लंबित याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 28 मार्च तक की मोहलत मांगी। कहा, इस बीच वह निश्चित रूप से अयोग्य ठहराए जाने संबंधी याचिकाओं का निस्तारण कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष की इस अपील को खारिज कर दिया और अनुच्छेद 142 में मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मंत्री को पद से हटाए जाने और उनके विधानसभा में प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। श्यामकुमार के मंत्री के रूप में कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। पीठ ने कहा, 21 जनवरी के आदेश में विधानसभा अध्यक्ष को एक मौका देते हुए अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कहा गया था। लेकिन एक महीने तक करीब तीन साल से लंबित याचिकाओं पर कोई निर्णय न लेने के विधानसभा अध्यक्ष के आचरण से पीठ को यह असामान्य निर्णय लेना पड़ा।

राज्यसभा सदस्य के रूप में आज शपथ लेंगे रंजन गोगोई

रंजन गोगोई फाइल

नई दिल्ली, एजेंसियां : पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई गुरुवार सुबह 11 बजे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यसभा सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च को उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था।

रंजन गोगोई तीन अक्टूबर, 2018 से 17 नवंबर, 2019 तक देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश थे। उनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने नौ नवंबर, 2019 को वर्षों से लंबित अयोध्या विवाद में फैसला सुनाया था। इसके अलावा उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा और सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश मामले पर भी फैसले सुनाए थे। मालूम हो कि प्रधान न्यायाधीश का पद छोड़ने से पहले रंजन गोगोई ने कहा था कि भारतीय अदालतों में लंबित मामलों का इस्तेमाल काफी हद तक इस संस्थान को कमजोर करने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था कि उनके दिलोदिमाग का एक हिस्सा हमेशा सुप्रीम कोर्ट के साथ रहेगा।

केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन अगले हफ्ते बताएं उमर अब्दुल्ला कब होंगे रिहा

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जल्द रिहा नहीं किया तो याचिका की मेरिट पर होगी सुनवाई
- पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से हिरासत में हैं उमर

उमर अब्दुल्ला। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अगले हफ्ते यह बताने को कहा है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कब रिहा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से हिरासत में हैं।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने बुधवार को केंद्र की ओर से पेश हुए वकील को बताया कि अगर जल्द ही उमर अब्दुल्ला को रिहा नहीं किया गया तो वह उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई करेंगे।

खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की है जब केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वकील ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता किसी और अदालत में पेश हो रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत को इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए एक तारीख तय कर देनी चाहिए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च अदालत की मौजूदा व्यवस्था के तहत सिर्फ छह खंडपीठें ही काम कर रही हैं। इसलिए वह यह नहीं बता सकते कि अगली बारी कब आएगी। खंडपीठ ने कहा कि संभवतः यह पीठ अगले हफ्ते फिर बैठ रही है और उसी समय इस मामले पर फिर सुनवाई कर ली जाएगी।

उल्लेखनीय है कि विगत पांच मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले पर होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगी। सारा अब्दुल्ला पायलट ने जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए), 1978 के तहत बंदी बनाए गए अपने भाई उमर अब्दुल्ला को रिहा कराने के लिए यह याचिका दायर की है।

इससे पहले, विगत दो मार्च को जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर बेहद भड़काऊ भाषणबाजी कर रहे थे। और उनकी उपस्थिति से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद के माहौल के बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उमर अब्दुल्ला की बहन की याचिका का विरोध भी किया था। उल्लेखनीय है कि पिछले ही हफ्ते उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला को कई महीने के बाद हिरासत से रिहा किया गया है। उसके बाद से उमर अब्दुल्ला की रिहाई का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं : रेड्डी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने बुधवार को कहा कि शाहीन बाग के प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई स्तरों पर बातचीत की। अमन कमेटियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, बाजार संगठन और उस क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों समेत विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की बातचीत की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

राज्यसभा में तृणमूल के सदस्य शांता छेत्री के सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की पहली जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। लेकिन जहां तक शाहीन बाग में प्रदर्शन का मसला है तो दिल्ली पुलिस ने विभिन्न पक्षों के साथ कई स्तरों पर बातचीत की। छेत्री ने पूछा था कि क्या सरकार शाहीन बाग और उसी की तरह देश के अन्य भागों में चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए प्रयास कर रही है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा पर लगातार नजर रख रही है। साथ ही जरूरत के हिसाब से राज्यों को अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया कराए गए हैं।

एनपीआर के लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा

संसद प्रश्नोत्तर

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) 2020 को अपडेट करने के दौरान किसी से भी कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। राज्यसभा में बुधवार को एक लिखित सवाल का उत्तर देते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन (एनआरआइसी) तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है।

एक अप्रैल से 30 सितंबर तक जनगणना के आवास-सूचीबद्ध करने के चरण के साथ एनपीआर डाटा एकत्र किया जाएगा। पंजाब, केरल, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने एनपीआर को लेकर आशंका जताई है और इसकी प्रक्रिया को लेकर आलोचना कर रहे हैं। एनपीआर अपडेट करने का लक्ष्य देश के हर सामान्य निवासी का समग्र पहचान डाटाबेस तैयार करना है।

जनगणना 2011 का आवास-सूचीबद्ध चरण के लिए अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर हाल ही में शुरू हुए हंगामे के बीच जारी की गई है। एनपीआर के लिए डाटा जनगणना 2011 के आवास-सूचीबद्ध चरण के साथ 2010 में एकत्र किया गया था। 2015 में घर-घर सर्वे के जरिये इस डाटा को अपडेट किया गया था। 2015 में अपडेट करते समय सरकार ने आधार और मोबाइल नंबर जैसे विवरण के लिए कहा था।

इस बार ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आइडी कार्ड से संबंधित सूचनाएं भी एकत्र की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि पैन कार्ड का विवरण जमा नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि माता-पिता के जन्म स्थान से संबंधित सवाल का उत्तर स्वैच्छिक होगा।

विधि आयोग की सिफारिश पर 12 राज्यों ने राय सौंपी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बारह राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों ने जमानत से संबंधित अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 के संशोधनों को लेकर विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट पर अपनी राय दे दी है। एक लिखित सवाल का उत्तर देते हुए गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि रिपोर्ट में भारतीय विधि आयोग ने सीआरपीसी 1973 में कई संशोधन करने का सुझाव दिया है। रेड्डी ने कहा, 'अभी तक 12 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों से राय मिल चुकी है।

कश्मीर प्रतिबंध के दौरान पत्रकारों, बैंकों को मिली थी इंटरनेट सुविधा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कश्मीर में प्रतिबंध के दौरान पत्रकारों एवं बैंकरों को अपना काम करने के लिए इंटरनेट सुविधा दी गई थी। टेलीकॉम राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में बुधवार को एक लिखित उत्तर में कहा कि राज्य सरकारों को राज्य में या हिस्से में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवा निलंबित करने का आदेश जारी करने का अधिकार हासिल है। दूरसंचार सेवा का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपात या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2017 में इसका प्रावधान किया गया है।

पाक की हिरासत में हो सकते हैं मछुआरे समेत 337 भारतीय कैदी : विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान की हिरासत में मछुआरे समेत 337 भारतीय कैदी हैं। इनमें ज्यादातर मछुआरे हैं। हालांकि, पड़ोसी देश ने उनमें से 261 के हिरासत में होने की जानकारी दी है।

एक अन्य सवाल के जवाब में मुरलीधरन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत सामान्य रिश्ते रखना चाहता है।

बताया अनुभव

गोमूत्र से कैंसर व वज्रासन से घुटनों का दर्द ठीक होने का अनुभव किया साझा, सरकार से किया योग व प्राकृतिक चिकित्सा का भी बिल लाने का अनुरोध

जब कांग्रेस नेता ऑस्कर ने किया आयुर्वेद, योग व गोमूत्र का गुणगान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ऑस्कर फर्नांडिस। फाइल

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने योग के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद के साथ गोमूत्र के गुणों की प्रशंसा की और योग को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का समर्थन किया। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के लिए आयोग गठन के लिए पेश दो विधेयकों पर चर्चा के दौरान फर्नांडिस ने कहा कि जब मैं गोमूत्र पर चर्चा करता हूं तो मेरे मित्र जयराम रमेश मेरी टांग खींचते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि गोमूत्र में कैंसर के उपचार की क्षमता है। एक मर्तबा मेरठ के निकट एक आश्रम की यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसका दावा था कि गोमूत्र के सेवन से उसका कैंसर ठीक हो गया।

ऑस्कर ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की भी प्रशंसा की और कहा कि एक बार उन्हें घुटनों के भयंकर दर्द से गुजरना पड़ा था। तब डाक्टरों ने उन्हें सर्जरी के जरिये घुटने बदलवाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और वज्रासन करना शुरू कर दिया। 'मैं वज्रासन के साथ योग करने लगा। और आज मैं बिना किसी दिक्कत के कुश्ती लड़ सकता हूं।'पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना था कि 'पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घुटनों का प्रत्यारोपण कराया था। अगर मेरी पहले उनसे जान-पहचान होती तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिलता और उन्हें भी वज्रासन करने की सलाह देता और वो ठीक हो गए होते।' उन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए अलग से बिल लाने का सरकार से अनुरोध किया।

रास में मास्क पहनकर पहुंचे कई विपक्षी सदस्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सभापति ने जताई आपत्ति, कहा- यह सदन के नियमों के खिलाफ
- मास्क पहनकर पहुंचे सदस्यों ने कहा, एडवाइजरी का कर रहे पालन

बजट सत्र छोटा करने की मांग लेकर बुधवार को कई विपक्षी सदस्य मास्क पहनकर राज्यसभा पहुंचे। सभापति वैंकेया नायडू ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह ठीक नहीं है। इससे देश में गलत संदेश जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री सहित कई सदस्यों ने बजट सत्र को छोटा करने की मांग की थी जिसे सरकार ने नकार दिया था।

राज्यसभा में मास्क पहनकर पहुंचे सभी सदस्य तृणमूल कांग्रेस के थे। हालांकि सभापति ने उनके इस तरह से सदन में आने पर आपत्ति जताई और कहा कि सदन सैनिटाइज किया जा चुका है और मास्क पहनकर आने से भय फैलेगा। उन्होंने इसे नियमों के खिलाफ बताया। कांग्रेस सदस्य पी. चिदंबरम ने तृणमूल कांग्रेस सदस्यों का बचाव किया और सभापति से अनुरोध किया कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें यह फैसला सदस्यों पर छोड़ देना चाहिए। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओ-ब्रायन जहां काला मास्क पहनकर पहुंचे थे, वहीं उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य सुखेंदु शेखर राय सफेद मास्क पहनकर आए थे। इन सदस्यों ने मास्क पहनने को लेकर सफाई भी दी और कहा कि वे सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं। इस दौरान सदन में काफी देर तक हो-हल्ला भी हुआ। बाद में सदन की कार्यवाही को जारी रखा गया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार ही लोगों से एक जगह पर नहीं जुटने की सलाह दे रही है। फिर इसका संसद में पालन क्यों नहीं हो रहा है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

मुझे ऐसा लगता है कि हाथ साफ रखने जितना जरूरी जुबान साफ रखना भी है!